प्रेस.विज्ञप्ति **दिनांक 07.09.2026**

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

सूर्या मॉल चौक पर अवैध होर्डिंग.बैनर को लेकर निगम सख्तए कार्रवाई से पहले ही व्यवसायियों ने हटाए पोस्टर

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के प्रमुख एवं व्यस्ततम सूर्या मॉल चौक पर सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टरों को लेकर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यवसायियों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा सड़क किनारे लगे विद्युत एवं अन्य पोल पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाए जाने से जहां शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, वहीं वाहन चालकों की दृश्यता बाधित होने के कारण सड़क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर क्षेत्र के राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क के पोल पर लगाए गए अवैध होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की। निगम की टीम के पहुंचने की जानकारी मिलते ही संबंधित व्यवसायियों ने स्वयं पहल करते हुए अपने लगाए गए होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर हटाना शुरू कर दिया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे के पोल एवं अन्य स्थानों पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाना नियमों के विपरीत है। ऐसे अवैध होर्डिंग एवं बैनर से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ.साथ दुर्घटना की संभावना भी बढ़ सकती है। निगम द्वारा शहर में यातायात सुगम बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों को अवैध प्रचार सामग्री से मुक्त रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग की टीम ने व्यवसायियों को भविष्य में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर नहीं लगाने की समझाइश भी दी। निगम की कार्रवाई के बाद सूर्या मॉल चौक क्षेत्र में लगे कई अवैध प्रचार सामग्री को हटाया गया, जिससे सड़क एवं चौक का स्वरूप भी अधिक व्यवस्थित नजर आया।

संलग्न.फोटो

जनसम्पर्क अधिकारी